

(1) दाण्डिक पुनरीक्षण क्रमांक: 61 / 10

न्यायालय:- द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गौहद जिला भिण्ड (म0प्र0)
(समक्ष: श्री पी.सी. आर्य)

दाण्डिक पुनरीक्षण क्रमांक: 61 / 10
संस्थापन दिनांक-13 / 4 / 10

कृष्ण कुमार शर्मा पुत्र श्री हनुमानप्रसाद शर्मा,
आयु 59 साल, निवासी वार्ड नंबर-8,
गुलाब चन्द्र की बगिया ठाठीपुर ग्वालियर

-----पुनरीक्षणकर्ता / आवेदकगण

वि रु द्ध

म.प्र. राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र, मालनपुर जिला भिण्ड

.....प्रतिपुनरीक्षणकर्ता / अनावेदक

न्यायालय-श्री मनीष शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी गौहद
जिला-भिण्ड के न्यायालय के प्रकरण क्रमांक-25/06 ई0फौ0 शासन
बनाम अरुण में पारित आदेश दिनांक 01/04/2010 से उत्पन्न
दाण्डिक पुनरीक्षण

निगरानीकर्ता द्वारा श्री एम.एल. मुदगल अधि0
प्रत्यर्थी द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल अधिवक्ता ।

-::- आ दे श -::-

(आज दिनांक 10, दिसंबर 2014 को पारित किया गया)

1. आवेदक / पुनरीक्षणकर्ता कृष्णकुमार शर्मा की और से उक्त दाण्डिक पुनरीक्षण याचिका न्यायालय जे0एम0एफ0सी0 गौहद श्री मनीष शर्मा द्वारा प्रकरण क्रमांक 25/2006 ई0फौ0 में पारित आदेश से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है, जिसमें विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निगरानीकर्ता पर धारा-420, 406, 467, 468, 471 भा.द.वि. में आरोप लगाया गया ।
2. पुनरीक्षणकर्ता की पुनरीक्षण याचिका का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक / पुनरीक्षणकर्ता पर धारा-406, 420, 467, 468, 471 भा.द.वि. के अंतर्गत आरोप लगाकर कानूनी त्रुटि की है । शिकायतकर्ता की शिकायत से यह स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता ने अप्रैल 2001 में नियमित ऑडिट के दौरान स्टेचुटेरी ऑडिटर द्वारा प्रस्तुत ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर पुलिस मालनपुर में शिकायत

की है, स्टेचुटरी ऑडीटर की पूरी रिपोर्ट में ऐसा कहीं भी कोई उल्लेख नहीं है, ना ही प्रार्थी द्वारा अनियमिततायें की गयी हैं या सहयोग किया गया है या एफ.आई.आर. और लिखित शिकायत में वर्णित आरोप कि गेट रजिस्टर्ड में एंट्री खुद के.के. शर्मा द्वारा की गयी, का उल्लेख नहीं है। थाना मालनपुर में उक्त प्रकरण की कायम की दि.-4/4/2003 को शिकायत की जांच के बाद कंपनी में वर्ष 2000 से मार्च 2001 तक हुई अनियमितताओं के संबंध में उपरोक्त धाराओं के अंतर्गत कायम की गयी। धारा-406 भा.द.वि. का आरोप प्रार्थी पर लगाया गया है, उक्त धारा के आपराधिक न्यास भंग के लिए दण्ड आपराधिक न्यास भंग को 405 भा.द.वि. में परिभाषित किया गया है। इसके अलावा अन्य धाराओं में भी जो आरोप लगाये गये हैं, वैसा कृत्य आवेदक/निगरानीकर्ता द्वारा नहीं किया गया है। इन बिन्दुओं पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया। पारित आदेश अवैध तरीके से पारित कर दिया है, जो कि विधि विधान एवं तथ्यों के प्रतिकूल होकर अपास्त किये जाने योग्य है, इसलिये पुनरीक्षण याचिका स्वीकार की जाकर आरोप विवेचना का आदेश दिनांक 01/04/2010 निरस्त किया जाये।

3. उपरोक्त पुनरीक्षण के निराकरण के लिये मुख्य रूप से निम्न प्रश्न विचारणीय है:-

1. क्या विद्वान जे0एम0एफ0सी0 गोहद श्री मनीष शर्मा द्वारा मूल प्रकरण क्रमांक 25/06 ई0फौ0 में दिनांक 1/4/10 को पारित अंतरिम भरण पोषण का आदेश अवैध, अनुचित, या औचित्यहीन होकर अपास्त किये जाने योग्य है?

:- निष्कर्ष के आधार:-

4. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर मनन किया अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख का अवलोकन किया गया। आलोच्य आदेश पर विचार किया गया।
5. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के मूल प्रकरण क्रमांक-25/2006 ई.फौ. में पारित आलोच्य आदेश का परिशीलन किया गया, उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर मनन किया गया। पुनरीक्षणकर्ता की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता ने मूलतः यह तर्क किया है कि आरोपी/पुनरीक्षणकर्ता कृष्णकुमार शर्मा के विरुद्ध कोई भी अपराध नहीं बनता है और विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने जो आरोपों की विवेचना की है, वह कतई विधि संबत नहीं है तथा आरोप लगाये जाने संबंधी आदेश भी अवैध है। इसलिये अपास्त किया जावे और आरोपी/पुनरीक्षणकर्ता को उन्मोचित किया जावे।

6. जबकि विद्वान ए.जी.पी. का तर्क है कि जो अभियोगपत्र और उसके साथ दस्तावेज पेश किये गये हैं, उसमें विचारण योग्य मामला स्पष्ट रूप से बनता है और विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने जिन आधारों के तहत आरोपों की विरचना की है, उसके तहत विचारण योग्य मामला सुदृण है और लगाये गये आरोप और उससे संबंधित आदेशपत्रिका और आरोप में किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं है और पुनरीक्षण केवल बिलंब करने के उद्देश्य से पेश की गयी है, जो सव्यय निरस्त की जावे ।
7. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य आदेश मुताबिक आरोपी/पुनरीक्षणकर्ता के विरुद्ध धारा-406, 420, 467, 468, 471 भा.द.वि. के तहत प्रथम दृष्टया आरोप बनना प्रतीत होने से प्रथम से आरोपों की विरचना की गयी और उससे संबंधित समुचित आदेश पारित किया ।
8. मूल अभिलेख के अवलोकन से आरोपों की विरचना के पश्चात साक्ष्य ली, साक्ष्य भी विद्वान अधीनस्थ न्यायालय में आंशिक रूप से लिपिबद्ध हो चुकी है तथा पुनरीक्षणक याचिका में जो आधार लिये गये हैं, वे गुणदोषों की विषय वस्तु हैं जिन्हें साक्ष्य उपरांत गुणदोषों पर निर्णय के समय ही विनिश्चित किया जा सकता है । किन्तु लिये गये आधारों पर से विरचित आरोपों से उन्मोचन योग्य कतई मामला अभियोगपत्र एवं उसके साथ संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन से नहीं बनता है और विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि आरोपों की विरचना के समय केवल यह देखा जाता है कि विचारण के लिए सुदृण आधार है अथवा नहीं । मामला सिद्ध होगा या नहीं होगा यह आरोप के स्तर पर देखना आवश्यक नहीं है तथा बचाव के आधार या बचाव के दस्तावेज भी आरोपों के विरचना के समय देखे जाने की आवश्यकता नहीं होती है । जैसा कि न्याय दृष्टांत **रामप्यारे विरुद्ध रामप्यारी 2002 भाग- एम.पी.एल.जे. पेज-54** में भी अभिनिर्धारित किया गया है कि आरोप विरचित करते समय प्रथम दृष्टया अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर विचार किया जाना चाहिये । उस समय जो सामग्री प्रस्तुत की गयी है उसके विवरण की व्याख्या नहीं करना चाहिये क्योंकि वह गुणदोषों पर ही देखा जा सकता है ।
9. ऐसी स्थिति में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने आरोपी/पुनरीक्षणकर्ता पर जो धारा-420, 406, 467 468, 471 भा.द.वि. के तहत जो आरोप लगाये गये हैं, उक्त आलोच्य आदेश कतई अवैध, अनुचित या औचित्यहीन नहीं माना जा सकता है ।
10. फलतः पुनरीक्षण याचिका सारहीन मानते हुये आलोच्य आदेश की पुष्टि करते हुए निरस्त की जाती है ।
11. आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का मूल

अभिलेख इस निर्देश के साथ वापिस भेजा जाये कि उक्त प्रकरण का आदेश प्राप्ति के पश्चात शीघ्रातिशीघ्र मामले का विधिवत निराकरण करने का प्रयास किया जावे ।

आदेश खुले न्यायालय में दिनांकित व
हस्ताक्षरित कर पारित किया गया

मेरे बोलने पर टंकित किया गया

(पी0सी0 आर्य)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश
गोहद जिला भिण्ड

(पी0सी0 आर्य)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश
गोहद जिला भिण्ड